राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6290/2024

विशा भाई पुत्र श्री लीला भाई, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी गायत्री नगर, अहमदाबाद (गुजरात)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री अभिमन्यु खत्री
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी
		श्री आर.एस. भाटी, एजीए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

18/09/2024

1. याचिकाकर्ता आरोपी ने आपराधिक मामला संख्या 211/2009 में आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 1, जोधपुर मेट्रोपोलिटन (अब न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 जोधपुर) द्वारा पारित दिनांक 24.01.2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फरार घोषित किया था, उसकी जमानत जब्त कर ली थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत और उसके जमानतदार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत अलग से कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।

2. सबसे पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि 24.01.2019 के आदेश को चुनौती देने के लिए वर्ष 2024 में विलम्ब से दायर की गई यह याचिका लगभग साढ़े चार वर्ष बाद कैसे स्वीकार्य है, उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में इस आदेश को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे

हैं और तब तक याचिकाकर्ता को इस आदेश के पारित होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता को फरार घोषित करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन याचिकाकर्ता अपने बेटे की दुर्घटना के कारण ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो पाया था। उसे उसके वकील ने ट्रायल कार्यवाही में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया था। इन परिस्थितियों के बावजूद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार नहीं किया और उसके जमानत बांड जब्त करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत और उसके जमानतदार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्यवाही शुरू की। याचिकाकर्ता के पेश होने में असमर्थता उसके नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण थी।

3.1 चूंकि फाइल को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया था, इसलिए ट्रायल कार्यवाही में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मामले में पेश होना बंद कर दिया और उसके बाद याचिकाकर्ता ने उससे कुछ भी नहीं सुना। संचार की कमी और याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों द्वारा बनाई गई गलतफहमी के कारण, उन्हें यह धारणा मिली कि उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है, और इस प्रकार वे विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले का अनुसरण करने में ढीले हो गए। याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही, किसी भी परिस्थिति में, जानबूझकर नहीं कही जा सकती, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया। इसलिए, गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया।

4. विद्वान पीपी दोनों विद्वान न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश का समर्थन करेंगे, क्योंकि इसमें बताए गए कारण हैं।

5. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, मुझे मोहम्मद हरस बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य केस शीर्षक में निर्णय देने का अवसर मिला है जो संबंधित है, तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत है:-

> "6. निस्संदेह, विद्वान ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले, अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है ताकि उसे यह बताने का अवसर

मिल सके कि जमानत क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में विशेष न्यायालय, संगरूर के विद्वान न्यायाधीश द्वारा ऐसा तरीका नहीं अपनाया गया है। केवल इस आधार पर, जमानत रद्द करने की सीमा तक आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है और किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को इस तरह के हल्के ढंग से और इस तरह के यांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में है”

6. धारा 446 सीआरपीसी के तहत जमानतदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में, यह भी विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक गंभीर प्रक्रियात्मक भ्रांति है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। वरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य शीर्षक से दर्ज मामले में, जिसका प्रासंगिक विवरण, तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

“9. संहिता की धारा 444 और 446 के वैधानिक प्रावधानों और ऊपर दर्ज टिप्पणियों के आलोक में, मेरा यह मत है कि जमानतदार को मुक्त करने और जब आवश्यक हो, बांड जब्त करने और जमानतदार पर जुर्माना लगाने के लिए उठाए जाने वाले आगे के कदमों को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया और सिद्धांतों को अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

ए. जमानतदार को मुक्त करना

ए.1. जमानतदार किसी भी स्तर पर मुक्त करने की मांग कर सकता है: एक व्यक्ति जिसने जमानत पर रिहा किए गए किसी व्यक्ति के लिए जमानतदार खड़ा किया है, उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार है। वह बांड से पूरी तरह मुक्त करने की मांग कर सकता है।

ए.2. अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी वारंट: जमानतदार से आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय संबंधित व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा, जिसे जमानत पर रिहा किया गया था, ताकि उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके।

ए.3 जमानतदार व्यक्ति की उपस्थिति: एक बार संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या

अन्यथा पेश किया जाता है, तो न्यायालय जमानतदार को मुक्त करने का निर्देश देगा।

ए.4. नए जमानतदारों की खोज: एक बार न्यायालय द्वारा जमानतदार के लिए बांड के मुक्त करने का आदेश दिए जाने के बाद, जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने की आवश्यकता होगी।

ए.5. विफलता के परिणाम: यदि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति अपेक्षित रूप से अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसे जेल भेज सकता है।

बी. जमानत बांड जब्त करने और जुर्माना लगाने के लिए

बी.1 बांड और सबूत की जब्ती:- यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने या संपत्ति पेश करने के लिए बांड निष्पादित किया जाता है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि बांड जब्त कर लिया गया है, तो न्यायालय को ऐसे सबूत के लिए आधार दर्ज करना चाहिए। इसी तरह, यदि किसी अन्य संदर्भ में बांड जब्त किया जाता है, तो न्यायालय को जब्ती के लिए आधार भी दर्ज करना चाहिए।

बी.2. नोटिस और जुर्माना:- न्यायालय तब बांड द्वारा बंधे व्यक्ति (जमानतदार) को बांड में निर्दिष्ट जुर्माना भरने या जुर्माना न चुकाए जाने का कारण बताने के लिए कह सकता है। यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो न्यायालय जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

बी.3 विवेकाधीन छूट:- न्यायालय को जुर्माने के एक हिस्से को माफ करने (कम करने) तथा केवल शेष राशि के भुगतान को लागू करने का विवेकाधिकार है, जिसका तात्पर्य यह है कि बांड को जब्त करना ही जुर्माना लगाने के बराबर है तथा जुर्माना लगाने के लिए एक विशिष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए।

बी.4 जुर्माना न चुकाने पर दीवानी कारावास यदि लगाया गया जुर्माना अदा नहीं किया जाता है या वसूल नहीं किया जा सकता है, तो जमानतदार को छह महीने तक की अवधि के लिए दीवानी जेल में कारावास हो सकता है।

बी.5. जमानतदार की मृत्युः- यदि बांड जब्त होने से पहले बांड का जमानतदार मर जाता है, तो उसकी संपत्ति बांड से संबंधित किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाती है।

बी.6. दोषसिद्धि का साक्ष्य के रूप में उपयोगः- यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 106 या धारा 11 या धारा 360 के तहत सुरक्षा प्रदान की है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके किए जाने से उसके बांड की शर्तों का उल्लंघन होता है या धारा 448 के तहत उसके बांड के बदले में निष्पादित बांड (नाबालिग के लिए) का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को जमानतदार के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाते।

7. याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए, प्रदीप कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जो 23.08.2023 को तय हुआ था। इसके प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:-

"13.1 किसी व्यक्ति को घोषित व्यक्ति या अपराधी के रूप में घोषित करना, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत परिकल्पित है (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा), इसके साथ ही धारा 83, 84 और 85 में वर्णित उसकी संपत्ति की कुर्की और बिक्री का परिणामी निहितार्थ भी है। इसके अलावा, इस तरह की घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी को ट्रिगर करती है, जिसमें सात साल तक की कैद की सजा और मौद्रिक दंड हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले गहन और दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए, यह अनिवार्य हो जाता है कि किसी व्यक्ति को घोषित व्यक्ति या अपराधी घोषित करने और उपरोक्त धारा के तहत आपराधिक दायित्व लागू करने से पहले न्यायालय वैधानिक आवश्यकताओं का अक्षरशः और भावना दोनों में सावधानीपूर्वक पालन करें, जो कि उनके अनुपालन को उचित रूप से दर्शाता है।

13.2 संहिता की धारा 82(1) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी घोषणा के लिए संबंधित व्यक्ति को घोषणा प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीस दिन की सूचना के साथ निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होना होगा। उप-धारा (2) घोषणाओं के प्रकाशन पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जबकि उप-धारा (3) दृढ़ता से स्थापित करती है कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित बयान इस धारा की आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्णायक सबूत होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 83(1) न्यायालय को लिखित रूप में दर्ज कारणों से घोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, की कुर्की का आदेश देने का अधिकार देती है।

13.3 ऐसे मामलों में जहां कोई आरोपी व्यक्ति संहिता की धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद भी पेश होने में विफल रहता है, न्यायालय संहिता की धारा 83, 84 और 85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उनकी संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय व्यक्ति की अनुपस्थिति में गवाहों की जांच के साथ आगे बढ़ सकता है, जैसा कि संहिता की धारा 299 में निर्धारित है।

19. मामले से अलग होने से पहले, सुनील त्यागी सुप्रा में दिए गए फैसले का लाभ उठाते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने, उसके प्रकाशन, संबंधित व्यक्ति को 'उद्घोषित व्यक्ति' या 'उद्घोषित अपराधी' घोषित करने और जहां आवश्यक समझा जाए, आईपीसी की धारा 74-ए (एसआईसी 174-ए) के तहत अपराध के लिए व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना वांछनीय माना जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं:

उद्घोषणा जारी करना:

i. धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, न्यायालय को अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य साधनों के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अपने पिछले प्रयासों पर विचार-विमर्श करना चाहिए। इन प्रयासों में समन जारी करना, अभियुक्त के खिलाफ जमानती और/या गैर-जमानती वारंट का निष्पादन शामिल है। न्यायालय को इन प्रयासों से उत्पन्न परिणामों

को सुसंगत तथ्यों और व्यापक विवरणों के साथ पूरी तरह से प्रलेखित करना चाहिए। न्यायालय के लिए यह संतोषजनक रूप से सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

ii. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में व्यक्त "विश्वास करने का कारण" वाक्यांश यह दर्शाता है कि न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री से यह विश्वास प्राप्त करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

iii. इसके अलावा, उद्घोषणा में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को कहां और कब उपस्थित होना चाहिए। एक निर्दिष्ट स्थान और समय निर्धारित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपस्थिति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन से कम नहीं होना चाहिए।

उद्घोषणा का प्रकाशन-

iv. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82(2) में उल्लिखित उद्घोषणा के प्रकाशन में तीनों निर्धारित विधियों का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात्:

(क) शहर या गांव में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा का सार्वजनिक वाचन, जहां व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है।

(ख) व्यक्ति के घर या निवासस्थान में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा को चिपकाना।

(ग) न्यायालय भवन के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर उद्घोषणा का प्रदर्शन।

v. उद्घोषणा के प्रकाशन की उपरोक्त तीनों विधियों का पालन करना होगा। इनमें से किसी या सभी का पालन न करने पर उद्घोषणा कानून की दृष्टि में अमान्य हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों उप-धाराएं (क) से (ग) परस्पर अनन्य हैं।

vi. यदि न्यायालय को ऐसा लगता है, तो अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त तीन तरीकों के अतिरिक्त, वह अपने विवेकानुसार, उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार

पत्र में उद्घोषणा की एक प्रति प्रकाशित करने का भी निर्देश दे सकता है, जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है।

vii. यदि न्यायालय अपने विवेकानुसार, समाचार पत्र में उद्घोषणा के प्रकाशन का आदेश देता है, तो वह यह भी निर्देश देगा कि समाचार पत्र एजेंसी, समाचार पत्र में उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात, उसकी एक प्रति अभियुक्त के पते पर भेजेगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 10 के अनुसार सिविल मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। संक्षेप में, यह पूरक उपाय यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए।

"घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में घोषणा:

viii. संबंधित व्यक्ति को "घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में घोषित करने से पहले, न्यायालय प्रासंगिक तथ्यों को बताते हुए एक आदेश पारित करेगा और अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा कि घोषणा निर्धारित तरीके से विधिवत और उचित रूप से प्रकाशित की गई है।
ix. इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घोषणा के प्रकाशन की तारीख और व्यक्ति की उपस्थिति के लिए घोषणा में इंगित की गई तारीख के बीच कम से कम तीस दिन की अवधि समाप्त हो गई है। यदि घोषणा के प्रकाशन और उपस्थिति के लिए उसमें निर्दिष्ट तिथि के बीच का अंतराल तीस दिनों से कम है, तो घोषणा का ऐसा प्रकाशन संबंधित व्यक्ति को "घोषित व्यक्ति" या "घोषित अपराधी" के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है।

8. उपर्युक्त के आलोक में, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त के जमानत बांड जब्त करने और उसके और उसके जमानतदार के खिलाफ धारा 446 सीआरपीसी के तहत धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश आवश्यक रूप से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, दिनांक 24.01.2019 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता अभियुक्त के मूल जमानत बांड और उसके जमानतदारों के बांड बहाल किए जाते हैं और कानून के अनुसार आगे की सुनवाई की जाती है।

10. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।